खोया/नष्ट होना/चुराया नोटिस की अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देश (3 अंकों में)

भारत के राजपत्र भाग-IV में नाम सुधार/लिंग परिवर्तन , वयस्क के गोद लेने को रद्द करने पुर्नविवाह करने पर बच्चों तथा पिता का नाम परिवर्तन करने इत्यादि के संदर्भ में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के लिए सूचना ।

भारत के राजपत्र भाग-IV में सार्वजनिक सूचना के विज्ञापन के प्रकाशित करने के लिए लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है-

(i) समाचार पत्र की मूल प्रति

(ii) एफ० आई० आर० की फोटोकापी (स्वंहस्ताक्षरित)

(iii) आवेदक के विधिवत हस्ताक्षर करके तथा निर्धारित स्थान पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर युक्त विधिवत टाइप किया गये निर्धारित प्रोफार्मो की दो प्रतियॉ ।

(iv) एम एस वर्ड में बिना साक्षी भाग की मुद्रित सामाग्री समाविष्ट सी. डी.

(v) स्वं सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकापी (स्वं सत्यापित)

(vi) आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि हार्ड कापी तथा सॉफ्ट कापी की विषय सूची समान है ।

(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र ।

जो व्यक्ति भारत के राजपत्र भाग-IV में खोया/नष्ट होना/चुराना नोटिस का विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता/चाहती है, उसे इस प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन करना होना -

1. विज्ञापन की सामग्री किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवायें जिसमें मामलें का पूरा विवरण दिया है ।

2. कृपया संलग्न नमूने में निर्धारित अनुसार सभी तरह से पूण्र मुद्रण सामग्री को अलग से सादे कागज पर टाईप कराकर तथा उस पर अपने नाम के हस्ताक्षर करके तथा दो साक्षियों से हस्ताक्षर कराकर दो प्रतियों में सॉफ्ट प्रति (एम एस वर्ड में सी डी) के साथ जमा करायें । प्रपत्र कम्प्यूटर से टाईप होना चाहिए ।

3. आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित 02 पासपोर्ट आकार की फोटो तथा आई डी प्रूफ की फोटोप्रति इन दोनों को स्वंसत्यापित करके जमा करायें ।

4. खोया/नष्ट होना/चुराया नोटिस के प्रकाशन के लिए मुद्रण शुल्क 1900/- रूपये (एक अंक के लिए)/(क्रामिक तीनों अंकों के लिए रू 5700/-) (01-04-16 से 31-3-2017 तक) है । यह धनराशि नकद (यदि आवेदक स्वयं विभाग में आता है) अथवा प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के जरिये अग्रिम भेजी जाए । आवेदनकर्ता से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी राजपत्र की प्रति हमारी वेबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर लें क्योंकि दिनांक 30-09-15 के भारत के राजपत्र सं० 602 असाधारण भाग-II, खंड 3 उप खंड (i) के तहत दिनांक 01-10-15 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बन्द कर दी गई है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध होगा ।

चरण : राजपत्र खोज करने के लिए

चरण 1 : राजपत्र खोजें

चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्राहिक राजपत्र

चरण 3 : चुनिंदा भाग और खंड में – भाग-IV

चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)

चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फाईल डाउनलोड करें ।

चरण 6 : अपना नाम (पुराना)/नया) खोजों के लिए कट्रोल + एफ कुंजी को दबायें ।

चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazette) डाउनलोड करें । इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है

ध्यान दें :-

वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

5. मुद्रण प्रभारों सहित पूर्वोक्त सभी काग़जात प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को संबोधित अग्रेषण पत्र के साथ इस विभाग को डाक द्वारा अथवा स्वयं भी आकर स्वंसत्यापित फोटो आई डी प्रूफ के साथ जमा किए जा सकते हैं । काग़जात एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।

6. विभाग में जमा किए गए काग़जात मूल अथवा फोटो प्रति किसी भी स्थिति में वापिस नहीं की जाएगी ।

7. इस विषय मे विभाग में सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से 1:00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा ।

8. आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें यह घोषणा की होगी कि हार्ड प्रति तथा साफ्ट प्रति में निहित विषयवस्त एक समान है । साथ ही उसे शपथ भी लेनी होगी कि आवेदन किसी भी असंगति अथवा पारावहन हुए नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा ।

9. सभी प्रकार से ठीक भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् निवेदन को संबंधित भारत के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा ।

10. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आई डी प्रूफ की स्वंहस्ताक्षरित फोटो भेजे । स्वयं आकर जमा किए गए अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे । ऐजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे ।

11. संबंधित प्रेस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए यह विभाग जिम्मेवार नहीं होगा ।

12. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामाग्री के अस्वीकार कर सकता है ।

प्रकाशन नियंत्रक